राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2016/ 237 दिनांकः– 17/5/16

आदेश

मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिन्दु संख्या 230.21 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय अभियन्ता, खण्ड ग्यारह के अधीन सैक्टर–5, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, आवासीय योजना, जयपुर में निम्न अनिस्तारित आवासों को खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत नगद भुगतान पद्वति के माध्यम से निस्तारित किया जाना है।

क.स.	योजना	कुल संख्या	आय वर्ग	फ्लेट नम्बर
1	सैक्टर–5, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा आवासीय योजना, जयपुर	04	MIG-A (G+3)	5/B/28(SF) 5/B/40(TF) 5/C/28(SF) 5/C/35(GF)
		कुल 04		

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, जयपुर निम्न शर्तो के आधार पर खुली ब्रिकी योजना से आवासो का निस्तारण करना सुनिश्चित करे :–

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट्स खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटो का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. उक्त फ्लेटो का पूर्व में यदि नीलामी से निस्तारण के प्रयास विफल रहे हो एवं फ्लेटो का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटो में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये है।
6. अलग–अलग प्रस्तावों पर उक्त फ्लेट/आवसों में से कोई भी आवास/फ्लेट की स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है तो तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में लाकर निरस्त करवाने के उपरान्त ही निस्तारण करें।
7. खुली बिकी योजना से संबंधित सभी आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों को खण्ड–ग्यारह की पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी के पैरा संख्या 18–19/एन पर माननीय आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), प्रथम/द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय, रा0आ0म0 जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ग्यारह, रा0आ0म0 जयपुर।
7. प्रयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (मु0)

pc 1 D:/New Work/Office Order-2016